मुख्यमंत्री का कार्यालय
(जनसंपर्क कोषांग)
बिहार सरकार
प्रेस विज्ञप्ति

संख्या–cm-202
26/06/2019

मुख्यमंत्री ने बिहार सरकारी सेवक शिकायत निवारण नियमावली के क्रियान्वयन का किया शुभारंभ

पटना 26 जून 2019 :– 1 अणे मार्ग स्थित संकल्प में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने बिहार सरकारी सेवक शिकायत निवारण नियमावली के क्रियान्वयन का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर सेवा समाधान वेब पोर्टल को लांच किया, साथ ही उन्होंने एक मार्गदर्शिका का भी विमोचन किया। मुख्यमंत्री के समक्ष बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसायटी की अपर मिशन निदेशक श्रीमती प्रतिमा एस0 वर्मा ने इस नियमावली के संबंध में एक प्रस्तुतीकरण दिया। इसमें बताया गया कि इसके माध्यम से सेवारत कर्मियों की ज्वाइनिंग से उनके रिटायरमेंट तक के मामलों की शिकायतों का निवारण किया जायेगा, इसके साथ ही सेवानिवृत्त कर्मियों के सेवांत लाभों की स्वीकृति तथा भुगतान से संबंधित शिकायतों के त्वरित, पारदर्शी एवं प्रभावी निवारण की यह एक बेहतर प्रणाली है। इसमें सेवा से जुड़ी शिकायतों का निपटारा 60 दिन की अधिकतम अवधि के अंदर किया जाएगा। शिकायतें ऑनलाइन दायर की जा सकेंगी। सेवा निवारण अधिकारी के निर्णय से असंतुष्ट होने पर अपील भी दायर की जा सकती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह एक बेहतर प्रणाली है। इससे सरकारी सेवकों की सेवा संबंधी शिकायतों का निष्पादन हो सकेगा। सेवानिवृत कर्मियों को सेवांत लाभ से जुड़ी शिकायतों का भी समाधान हो सकेगा और उनकी परेशानी खत्म होंगी।

बैठक में उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी, मुख्यमंत्री के परामर्शी श्री अंजनी कुमार सिंह, मुख्य सचिव श्री दीपक कुमार, विकास आयुक्त श्री सुभाष शर्मा, अपर मुख्य सचिव गृह सह बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसायटी के मिशन निदेशक श्री आमिर सुबहानी, मुख्यमंत्री के सचिव श्री मनीष कुमार वर्मा, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसायटी की अपर मिशन निदेशक श्रीमती प्रतिमा एस0 वर्मा, मुख्यमंत्री के सचिव श्री अनुपम कुमार, मुख्यमंत्री सचिवालय के अपर सचिव श्री चंद्रशेखर सिंह, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी श्री गोपाल सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

******